

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/प्लॉट के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

माल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनकी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 783 दिनांक 27/11/2020

प्राथमिकता श्रीमती उषा अरोड़ा प्लॉट श्री शिवलाल अरोड़ा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 P.No = 183/562

धारा 184 (7) (घ) के तहत आवासीय प्लॉटपालनी हाइसिंग बोर्ड

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 21044/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2062/3405, 3406

दिनांक 27/11/2020 को जमा करा दी है ।

27/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी+1

आवासीय

27/11/2020